

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांक- 29713-18

/2015-16

दिनांक- 10-2-16

प्रबन्धक,

हंसग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, अहिरनखेड़ा, मलवा,
जनपद फतेहपुर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-10 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम-15 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27/08/2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं हंसग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, अहिरनखेड़ा, मलवा, जनपद फतेहपुर। (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 31.12.2015 से तारीख 30.12.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम की प्री0 नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मन्जूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

01. मान्यता की मन्जूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/अधिसंवर्धन करने के लिए बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 01 में (यथा स्थिति प्री0 नर्सरी से कक्षा 08 में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पास पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक व उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
- 01-प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- 02-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
- 03- प्राइमरी/जूनियर शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- 04- प्राइमरी/जूनियर शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- 05-अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ता गस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- 06-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- 07-अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- 08-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

6

Signature

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों एवं सन्निधियों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं-
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| विद्यालय का क्षेत्रफल | - 6100 वर्ग मी० लगभग |
| कुल निर्मित क्षेत्र | - 2750 वर्ग मी० |
| कीड़ा स्थल | - 3350 वर्ग मी० कीड़ा स्थल |
| कक्षाओं की संख्या | - 10 |
- प्राध्यापक सह कार्यालय- सह भंडारगृह के लिए कक्ष- है।
 बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- है।
 पेयजल की सुविधा- है।
 मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- है।
 बाधारहित पहुँच- है।
 अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है।
09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजन के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी द्वारा या तदसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक एफ इ०-15/2015 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने लिए जारी किये जाए।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(दिनेश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फतेहपुर।

पृ० सं०-

/2015-16 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
02. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
04. सम्बन्धित नगर शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।
05. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फतेहपुर।


 Principal
 Hans Green Field Public School
 Malwan, Fatehpur